सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान पर होगा।

(3) ये नियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

1 इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49);

(ख) ''**प्रमाण पत्र''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 57 (1) के अन्तर्गत जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र;

(ग) **''पंजीयन प्रमाण पत्र''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र;

(घ) ''**जिला स्तरीय समिति''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति तथा इन नियमों के नियम 33 से है।

(ड.) ''**प्रपत्र''** से अभिप्रेत है, नियमों के अन्तर्गत उपाबद्ध प्रपत्र;

(च) ''**राज्य आयुक्त''** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत तथा इन नियमों में वर्णित से है;

(छ) **''अधिसूचना''** से अभिप्रेत है, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ज) **''बेंचमार्क दिव्यांगता''** से अभिप्रेत है, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता के दिव्यांग व्यक्ति;

2 अधिनियम में परिभाषित किये गये किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

अध्याय-2
अधिकार और हकदारियां

3. स्थापन का दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना-(1) स्थापन का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के उपबंधों का, अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के किसी अधिकार और उनको प्राप्त होने वाले किसी फायदे से इंकार करने के लिए दुरूपयोग नहीं किया जाता है।

(2) यदि किसी सरकारी स्थापन का प्रमुख या कोई निजी स्थापन, जो 20 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित कर रहा है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त करता है तो वह-

(क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ करेगा;

(ख) व्यथित व्यक्तियों को लिखित में सूचित करेगा कि किस प्रकार आक्षेपित कार्रवाई या लोप किसी विधिमान्य ध्येय को पूरा करने के लिए समानुपातिक साधन है।

(3) यदि व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्त को शिकायत प्रस्तुत करता है तो शिकायत का निपटान साठ दिन की अवधि के भीतर किया जायेगा;

परन्तु आपातकालिन मामलों में राज्य आयुक्त शिकायतों का निपटान तीस दिन की अवधि के भीतर किया जायेगा।

(4) कोई स्थापन किसी दिव्यांगजन को युक्तियुक्त आवासन उपलब्ध कराने पर उपगत किसी लागत को भागतः या पूर्णतः संदत्त करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

अध्याय-3

दिव्यांगता अनुसंधान के लिए समिति

4. राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति-(1) दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात :-

(i) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वृहत्त अनुभव रखने वाला एक अनुभवी प्रतिष्ठित व्यक्ति- अध्यक्ष

(ii) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार- सदस्य

(iii) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूह के प्रतिनिधि या राज्य स्तर से पंजीकृत स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में पांच सदस्य जिनको राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो- सदस्य

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी।

(iv) निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार- सदस्य सचिव

(2) अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करते है, तीन वर्ष होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य एक और पदावधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे।

(4) आधे सदस्य बैठकों की गणपूर्ति करेंगे।

(5) गैर-शासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रिती राज्य सरकार के समूह ''क'' अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

(6) राज्य सरकार समिति को उतने लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवृंद्ध उपलब्ध करायेगी, जैसा राज्य सरकार आवश्यक समझे।

5. दिव्यांगजन को अनुसंधान का एक विषय नहीं समझा जाना-कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो।

अध्याय-4

सीमित संरक्षकता

6. सीमित संरक्षकता-(1) अधिनियम की धारा 72 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति, दिव्यांगजनों के लिये सीमित संरक्षकता का समर्थन प्रदान करने तथा कानूनी बाध्यता वाले निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करेगी।

(2) सीमित संरक्षकता प्रदान करने से पूर्व जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन को वास्तव में संरक्षक की आवश्यकता है तथा ऐसा दिव्यांग कानूनी तौर पर स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

(3) सीमित संरक्षकता हेतु आवेदन प्राप्त होने या जिला स्तरीय समिति के प्रकरण ध्यान में आने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

बशर्ते कि समिति सीमित संरक्षकता हेतु कार्य करने के लिये व्यक्ति की सहमति भी ऐसी सीमित संरक्षकता के लिये प्राप्त की जायेगी।

(4) उप नियम (1) के तहत जारी सीमित संरक्षकता की वैधता प्रारम्भ से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिये होगी, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

बशर्ते कि जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनः वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जैसे कि सीमित संरक्षकता प्रदान करते समय अपनाई गई थी।

(5) सीमित संरक्षकता प्रदान करते समय जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार प्राथमिकता से एक उपयुक्त व्यक्ति को सीमित संरक्षक के रुप मे नियुक्त करने पर भी विचार करेगी :-

(अ) दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या वयस्क बच्चे,
(ब) सगे भाई एवं बहन,
(स) अन्य रक्त संबंधी रिश्तेदार या देखभाल करने वाले या स्थानीय प्रमुख व्यक्तित्व
(द) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत गैर शासकीय संस्था,

दिव्यांग महिला के मामले में सीमित संरक्षक कोई महिला ही होगी तथा महिला के न होने पर सीमित संरक्षक पुरुष के साथ सह-सीमित संरक्षक महिला का होना आवश्यक होगा,

(6) केवल उन व्यक्तियों जो 18 वर्ष से अधिक आयु के है, और जिन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 1) के किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, को सीमित संरक्षकता हेतु नियुक्त किया जायेगा।

(7) उप नियम (1) के तहत नियुक्त सीमित संरक्षक अपनी ओर से कानूनी निर्णय लेने के पूर्व सभी मामलों में दिव्यांग व्यक्ति से परामर्श करेगा।

(8) नियुक्त सीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी तौर पर लिया गया निर्णय दिव्यांग व्यक्ति के हित में है।

7. सीमित संरक्षकता से संबद्ध आदेश के विरूद्ध अपील-जिला स्तरीय समिति द्वारा सीमित संरक्षकता के संबद्ध में जारी किये गये आदेशों से व्यथित दिव्यांग अपील राज्य आयुक्त को कर सकता है।

8. सीमित संरक्षक को हटाया जाना- जिला स्तरीय समिति के समक्ष सीमित संरक्षक की शिकायत प्राप्त होने पर जांच के पश्चात सीमित संरक्षक को निम्न कारणों से हटाया जा सकेगा :-

(क) दिव्यांगजन का दुरुपयोग कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है।

(ख) संपत्ति का दुर्विनियोजन या उपेक्षा कर रहा है।

(ग) अन्य कोई विशिष्ट कारण जो जिला स्तरीय समिति के मत में सीमित संरक्षक को हटाये जाने का आधार हो।

परन्तु जिला स्तरीय समिति, सीमित संरक्षक को हटाने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगी।

9. जिला स्तरीय समिति द्वारा जागरूकता को बढ़ाना–(1) जिला स्तरीय समिति दिव्यांगजनों के वैधानिक अधिकारों के उपयोग के संबंध में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिये कार्य करेगी।

(2) जिला स्तरीय समिति, संस्थानों में रहने वाले दिव्यांगजनों और उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले और अन्य आवश्यकतानुसार उपायों की कानूनी क्षमता का उपयोग करने के लिये उपयुक्त समर्थन व्यवस्था स्थापित करने के लिये उपाय करेगी।

अध्याय–5

शिक्षा

10. शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम एवं शर्तें–(1) राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम एवं शर्तें अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुरूप रहेगी।

अध्याय–6

बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिये रोजगार हेतु विशेष प्रावधान

11. पदों की पहचान के लिये विशेषज्ञ समिति–(1) प्रत्येक स्थापन में पदों की पहचान/चिन्हांकन के प्रयोजन के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

(i) सचिव या प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव संबंधित स्थापन/विभाग– अध्यक्ष

(ii) संबंधित स्थापन/विभाग के विभागाध्यक्ष– सदस्य

(iii) संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग– सदस्य

(iv) संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग– सदस्य

(v) उपायुक्त विशेष योग्यजन– सदस्य

(vi) संबंधित स्थापन के प्रभारी अधिकारी– सदस्य सचिव

(2) स्थापन/विभाग में पदों के आरक्षण के संबंध में कोई विवाद/आपत्ति होने की दशा में मामला राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होगा :–

(i) सचिव या प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग– अध्यक्ष

(ii) आयुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन– सदस्य

(iii) सचिव या प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग– सदस्य

(iv) सचिव या प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं– सदस्य

(v) सचिव या प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग– सदस्य

(vi) सचिव या प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव,

सार्वजनिक उपक्रम विभाग– सदस्य

(vii) सचिव या प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित स्थापन/विभाग– सदस्य सचिव

(viii) प्रिन्सिपल एवं नियंत्रक या संबंधित दिव्यांगता के विभागाध्यक्ष, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज– सदस्य

(ix) निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन– सदस्य

(x) विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं वाले दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो दिव्यांगजन, जो राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये हो– सदस्य

(3) उप नियम (2) के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति दिव्यांग व्यक्तियों के लिये चिन्हित आरक्षित पदों की पहचान के प्रयोजन के लिये जितनी बार आवश्यक हो लेकिन तीन वर्ष में कम से कम एक बैठक होनी चाहिये।

12. **बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये पात्रता–**(1) सरकारी विभाग को सम्मिलित करते हुये प्रत्येक स्थापन के कार्यकलापों के संबंध में विभिन्न सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, दिव्यांग व्यक्ति के लिये पहचान किये गये पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र होगे बशर्ते वे पदों के लिये सुसंगत भर्ती या सेवा नियमों में अधिकथित अर्हताओं को पुरा करते हो और उक्त सेवाओं के पदों के कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिये कार्य करने में समर्थ हों।

(2) दिव्यांगों के लिये उपयुक्त पहचान किये गये पद पर दिव्यांग को अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

13. **रिक्तियों की संगणना–**(1) प्रत्येक स्थापन में रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिये पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या में कुल रिक्तियों के चार प्रतिशत को समुचित सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिये गणना में लिया जायेगा। अधिनियम की धारा 34 के अधीन प्रत्येक के लिये (क), (ख), (ग) एक-एक प्रतिशत तथा (घ) एवं (ड.) हेतु एक प्रतिशत निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगता हेतु आरक्षण होगा :–

(क) अंधता और अल्प दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;

(ग) चलन निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ रोगमुक्त, बौनापन और मांसपेशीय दुर्विकास;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ड.) खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिये पहचान किये गये पदों में बधिर, अंधता भी हैः

(2) रिक्तियों को भरने के लिये विज्ञापन जारी करते समय प्रत्येक सरकारी स्थापन प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या के साथ अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगताओं को उपदर्शित करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण क्षैतिज होगा और बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिये रिक्तियों को पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।

(4) जहां किसी भर्ती में उक्त नियम के अधीन आरक्षित किसी रिक्ति को उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है वहां ऐसी रिक्ति अग्रनीत की जायेगी और अधिनियम की धारा 34 (2) के उपबंधों के अनुसार भरी जायेगी।

(5) एक या एक से अधिक श्रेणीयों के लिये पहचान किये गये पदों में आरक्षण :-

(क) किसी स्थापन में यदि कोई पद केवल दिव्यांगता के एक वर्ग के लिये उपयुक्त है तो उस पद में आरक्षण केवल उस दिव्यांग व्यक्ति को ही दिया जायेगा;

(ख) ऐसे प्रकरण में चार प्रतिशत आरक्षण कम नहीं किया जायेगा और कुल पदों में आरक्षण उन दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जायेगा, जिनके लिये पदों की पहचान की गई है;

(ग) किसी स्थापन में यदि कोई पद केवल दो या तीन दिव्यांगता के वर्ग के लिये उपयुक्त है तो आरक्षण को उन वर्ग वाले दिव्याग व्यक्तियों के बीच जितना संभव हो समान वितरित किया जायेगा;

(6) रोस्टर का संधारण :-

(क) समस्त स्थापन दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण अवधारित करने/क्रियान्वित करने के लिये पृथक सौ बिन्दु आरक्षण रोस्टर रजिस्टरों का संधारण करेंगे।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में सौ बिन्दुओं का चक्र होगा और सौ बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र निम्नलिखित बिन्दुओं को समाविष्ट करते हुये चार ब्लॉकों में विभक्त होगा-

पहला ब्लॉक-बिन्दु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 25

दूसरा ब्लॉक-बिन्दु संख्या 25 से बिन्दु संख्या 50

तीसरा ब्लॉक-बिन्दु संख्या 51 से बिन्दु संख्या 75

चौथा ब्लॉक-बिन्दु संख्या 76 से बिन्दु संख्या 100

(ग) बिन्दु संख्या 25, 50, 75 और 100 रोस्टर के लिये निर्धारित और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित किया जायेगा। एक बिन्दु प्रत्येक के लिये (क), (ख), (ग) एक-एक प्रतिशत तथा (घ) एवं (ड.) हेतु एक प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता हेतु आरक्षण नियम 13 (1) के अनुसार होगा।

(घ) प्रत्येक स्थापन से संबंधित सभी रिक्तियों से सम्बन्धित रोस्टर रजिस्टर स्थापन प्रमुख द्वारा संधारित किया जायेगा।

उदाहरण :- यदि किसी संवर्ग में पचास पद है और रिक्त पद चौबीस है तो उस प्रकरण में स्थापन के प्रमुख को रोस्टर रजिस्टर में चौबीस अंको के रिकॉर्ड दर्ज होगें और अगली रिक्ति अर्थात् पच्चीसवीं रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के लिये निर्धारित की जायेगी।

14. **आयु में शिथिलीकरण-**(1) नियम 13 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुये निम्नलिखित रूप में शिथिल की जा सकेगी :-

(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 वर्ष;

(ख) पिछड़े वर्गो और विशेष पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये 13 वर्ष; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 15 वर्ष;

(2) राज्य सरकार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के असाधारण कष्ट के प्रकरण में आयु सीमा को आगे ओर शिथिल कर सकेगी।

15. **रियायत**–किसी रिक्ति के लिये आवेदन हेतु न्यूनतम पात्रता के लिये आवश्यक अंक से पांच प्रतिशत की रियायत की अनुमति बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को दी जायेगी, ऐसी रियायत किसी भी रिक्ति की पात्रता के लिये आवश्यक हो जो कि परीक्षा में निर्धारित किया गया है। ताकि उन्हें रोजगार के लिये नियम 12 के अधीन पात्र बनाया जा सकें।

16. **परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क के भुगतान में रियायत**–(1) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य राजकीय स्थापन/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी निकाय द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में निर्धारित आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान में छूट दी जायेगी।

(2) उप नियम (1) के तहत वर्णित रियायत केवल ऐसे बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिये होगी जिन्होने आवेदन के साथ बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत कर दावा किया गया हो।

17. **नियोजित व्यक्ति का दिव्यांग बनना**–यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी स्थापन में पूर्व में ही रोजगार में नियोजित है परन्तु अधिनियम की धारा 34 में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार की बेंचमार्क दिव्यांगता का अधिग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में स्थापन द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा ऐसे व्यक्ति भी प्रासंगिक सेवा नियमों में प्रदान की गई भौतिक और चिकित्सकीय परीक्षा/परीक्षण में रियायत लेने के हकदार होगे।

अध्याय–7

संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र

18. **आवेदन एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना**–(1) निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन अधिनियम की धारा 49 के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) दिव्यांग व्यक्तियों के लिये संस्था स्थापित करना या बनाये रखने के इच्छुक व्यक्ति उप नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को प्रारूप 'अ' में आवेदन कर सकता है।

(3) उप नियम (2) के तहत किये गये आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा :–

(क) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने संबंधी दस्तावेज।

(ख) संस्था को शासित करने वाले विधान, नियमावली।

(ग) आवेदन की तारीख से गत तीन वर्षो का ऑडिट प्रतिवेदन का विवरण।

(घ) संस्था में नियोजित कुल व्यक्तियों का उनके कर्तव्य सहित विवरण।

(ड.) संस्था में नियोजित पैशेवर कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता/अर्हता संबंधी विवरण।

(च) संस्था के कार्यालय का पूर्ण पते का विवरण।

(4) उप नियम (2) के तहत बनाये गये प्रत्येक आवेदन संबंधित संस्था के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा :–

(क) संस्थान भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 के XXI) या किसी अन्य कानून के अधीन राज्य में लागू होने वाले समय के लिये पंजीकृत है और इस तरह के पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।

(ख) संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चल रही है।

(ग) संस्थान में दिव्यांगों की विशेष जरुरतों को पूरा करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत पेशेवरों को नियुक्त किया है।

(घ) संस्था में दिव्यांगों के लिए पर्याप्त शिक्षण-प्रशिक्षण की सामग्री उपलब्ध है।

(ड.) संस्थान ने पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को जमा करवा दी गई हैं।

(5) आवेदन प्राप्ति के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच उपरान्त प्रारूप 'ब' में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्था को प्रथम बार जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा। यदि किसी कारणों से अधिनियम की धारा 52 के तहत निरस्त नहीं किया जाता हो। पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण दो वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

(6) पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये एक आवेदन उसी तरह से किया जायेगा जो पंजीकरण के लिये उप नियम (2) के तहत प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करते समय किया गया था। बशर्ते इस तरह के आवेदन ऐसे पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के 60 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा।

इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी वैधता अवधि समाप्त होने के 60 दिवस के पश्चात पंजीयन के नवीनीकरण के लिये किये गये आवेदन पर विचार कर सकते है। बशर्ते विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण हो जिससे सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट हो।

(7) यदि पंजीयन के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये आवेदन उप नियम (6) के प्रावधान में विनिर्दिष्ट के रूप में पंजीयन प्रमाण पत्र की समाप्ति से पहले किया गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने/नवीनीकरण होने की तिथि तक जारी रहेगा। यदि पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये आवेदन वैधता अवधि समाप्त होने के 60 दिवस पूर्व नहीं किया गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि पश्चात समाप्त समझा जायेगा।

(8) उप नियम (2) और उप नियम (6) के तहत किये गये प्रत्येक आवेदन जिसमें उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी जांच उपरान्त सन्तुष्ट है तो प्राप्त आवेदन का 90 दिवस के भीतर समाधान किया जायेगा।

19. **पंजीयन प्रमाण पत्र देने से इंकार करने का आदेश**-सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात यदि उसका समाधान नहीं होता है तो प्रमाण पत्र देने से इंकार करने का आदेश दे सकेगा। ऐसे आदेश में ऐसे किसी पंजीकरण प्रमाण पत्र को देने से इंकार करने के लिये विनिर्दिष्ट कारण अन्तर्विष्ट होगे और आवेदक को डाक/ई-मेल द्वारा संसूचित किया जायेगा।

20. **सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील**-अधिनियम की धारा 51 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र देने से इंकार करने या पंजीकरण प्रमाण पत्र खारिज/निरस्त करने के आदेश से कोई व्यक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर ऐसे इंकार करने या खारिज/निरस्त करने के विरूद्ध सचिव/प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अपील कर सकते है। प्रकरण में अनुसंधान एवं अपीलार्थी की सुनवाई उपरान्त जैसा उचित हो वैसा आदेश जारी किया जायेगा।

अध्याय-8

दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में अपील

21. प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिव्यांगता प्रमाण पत्र के विरूद्ध अपील-(1) किसी भी व्यक्ति को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध निर्णय की तारीख से 90 दिवस की कालावधि के भीतर जिला स्तरीय समिति को अपील निम्नलिखित तरीके से की जा सकेगी :-

(क) अपील में संक्षिप्त पृष्ठभूमि एवं अपील बनाने के आधार शामिल होंगे।

(ख) अपील के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र या अस्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न की जायेगी।

बशर्ते कि दिव्यांग व्यक्ति नाबालिक या किसी ऐसी निःशक्तता से पीड़ित है जिससे वह स्वयं अपील नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में उसकी ओर से अपील उसके कानूनी या सीमित संरक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(2) इस तरह की अपील प्राप्ति पर जिला स्तरीय समिति अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी और उसके बाद इस तरह के तर्कसंगत और विस्तृत आदेश पारित करेगी जैसा वह उचित समझे।

(3) उपनियम (1) के तहत प्रत्येक अपील पर 60 दिवस के भीतर निर्णय लिया जायेगा।

अध्याय-9

राज्य सलाहकार बोर्ड

22. राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिय भत्ते-(1) राज्य की राजधानी क्षेत्र में न रहने वाले राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को समूह "क" के अधिकारी को स्वीकृत किये जाने वाली दरों के अनुरूप भत्ता दिया जायेगा।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को, जो जयपुर में निवास नहीं कर रहे है, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का उस दर से संदाय किया जायेगा, जो राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुज्ञेय है,

परन्तु विधान सभा सदस्य की दशा में, विधान सभा सदस्य के रूप में अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का तब संदाय किया जायेगा जब विधान सभा सत्र नहीं हो और सदस्य द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये कि उसने अन्य किसी स्त्रोत से उसी यात्रा और ठहरने के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया है।

(3) शासकीय सेवकों को दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का संदाय संबंधित विभाग द्वारा जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है के नियमानुसार किया जा सकेगा।

23. बैठक की सूचना-(1) अधिनियम की धारा 66 की उप धारा (1) के तहत गठित दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक सामान्यतः राज्य की राजधानी ऐसी तारीखों को होगी, जैसी कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाये।

(2) बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी। 10 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष की ओर से सदस्य सचिव द्वारा बैठक सूचना जारी की जायेगी।

(3) बैठक की सूचना बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा सात दिवस पूर्व सदस्यों को दी जाएगी, जिसमें स्थान, समय, तिथि तथा उसमें किये जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) सदस्य-सचिव बैठक की सूचना सदस्यों को संवाहक द्वारा या उनके पते पर डाक द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी संचार माध्यमों से, जो अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों में उचित समझे सूचना देगा।

(5) कोई सदस्य या उसके द्वारा पांच दिन का नोटिस दिये बिना अध्यक्ष द्वारा उसको अनुमति प्रदान किये जाने बिना बैठक के विचारार्थ किसी मामले को विचारार्थ नहीं रखेगा।

(6) बोर्ड की बैठक को दिन-प्रतिदिन या किसी विशेष दिन के लिये अपनी बैठक को स्थगित कर सकेगा :-

(क) जब राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक को किसी दिन के लिये स्थगित किया जाता है तो सदस्य सचिव ऐसी स्थगित बैठक के समय, जहां बैठक स्थगित की गई थी, यदि आयोजित की गई हो कि संवाहक द्वारा सूचना देना और स्थगित बैठक की अन्य सदस्यों को सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) जब राज्य सलाहकार बोर्ड की किसी दिन के लिये बैठक स्थगित नहीं की जाती है किन्तु उस दिन के लिये, जिसको बैठक आयोजित की जानी है, से किसी अन्य दिन के लिये स्थगित की जाती है तो ऐसी बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उप नियम (4) में निर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

24. **पीठासीन अधिकारी-**अध्यक्ष राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा किन्तु जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उपस्थित किसी वरिष्ठतम एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिए नामांकित किया जा सकेगा।

25. **गणपूर्ति-**(1) राज्य सलाहकार बोर्ड के कुल सदस्यों का एक तिहाई किसी बैठक के लिये गणपूर्ति होगे।

(2) किसी बैठक के लिये नियत समय या किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान कुल सदस्यों का एक तिहाई सदस्यों से कम उपस्थिति है तो अध्यक्ष बैठक को ऐसे समय के लिये आगामी या किसी भावी तारीख के लिये जैसा कि वह नियत करें, स्थगित कर सकेगा।

(3) स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) कोई विषय, जो यथास्थिति, किसी साधारण या विशेष बैठक का एजेण्डा नहीं है, पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जायेगी।

26. **कार्यवृत्त-**(1) सदस्य सचिव उन सदस्यों के नामों को अन्तर्विष्ट करने वाला अभिलेख रखेगा, जिन्होंने बैठक में भाग लिया था तथा बैठक की कार्यवाहियों की पुस्तिका उस प्रयोजन के लिये रखी जायेगी।

(2) पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक पश्चातवर्ती बैठक के प्रारम्भ में पढ़ा जायेगा और ऐसी बैठक के अध्यक्ष अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि की जायेगी और हस्ताक्षर किये जायेगें।

(3) कार्यवृत्त किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान सदस्य सचिव के कार्यालय में उपलब्ध होगी।

27. **बैठकों में संव्यवहार किया जाने वाला कारबार-**सिवाय अध्यक्ष की अनुज्ञा के किसी कारबार को किसी एजेण्डा में दर्ज नहीं किया जायेगा या जिसकी सूचना नियम (11) उप नियम (5) के अधीन सदस्य द्वारा नहीं दी गई है, का किसी बैठक में संव्यवहार नहीं होगा।

28. **राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिये एजेण्डा-**किसी बैठक में कारबार का संव्यवहार उसी क्रम में किया जायेगा, जिसमें वह एजेण्डा में दर्ज है, सिवाय जब अन्यथा किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुज्ञा के संकल्प न किया गया हो।

या तो बैठक के प्रारम्भ में या बैठक में किसी प्रस्ताव पर चर्चा के समापन पर अध्यक्ष या सदस्य एजेण्डा में यथा दर्ज कारबार के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा और यदि अध्यक्ष सहमत होता है तो ऐसा परिवर्तन किया जायेगा।

29. **बहुमत द्वारा विनिश्चय**–समिति की बैठक में विचार किये गये सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के मत से किया जायेगा और मतों के समान होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

30. **किसी कार्रवाई का रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि से अविधिमान्य न होना**–राज्य सलाहकार बोर्ड की कोई कार्रवाई बोर्ड के गठन में किसी रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि के विद्यमान होने के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

31. **जिला स्तरीय समिति**–अधिनियम की धारा 72 में निर्दिष्ट दिव्यांगता संबंधी जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगी :-

(i) जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट–	अध्यक्ष
(ii) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–	सदस्य
(iii) जिला अस्पताल का मनोचिकित्सक–	सदस्य
(iv) लोक अभियोजक–	सदस्य
(v) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित दिव्यांग/ पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि–	सदस्य
(vi) अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रिती–	सदस्य
(vii) जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग–	सदस्य सचिव

32. **जिला स्तरीय समिति के कृत्य**–दिव्यांगता पर जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी। अर्थात :-

(क) दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर जिला प्राधिकारियों को सलाह देना।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन और जिला प्राधिकरणों के अधीन बनाये गये नियमों की निगरानी करना।

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जिला प्राधिकरणों की सहायता करना।

(घ) अधिनियम के प्रावधानों को जिला प्राधिकरणों द्वारा गैर क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों पर गौर करना और ऐसी शिकायतों के निवारण करने के लिये संबंधित प्राधिकरण को उचित उपाय सुझाना।

(ङ.) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के तहत जिला स्तर की स्थापन द्वारा की गई कार्रवाई से प्रभावित सरकारी स्थापन के कर्मचारियों द्वारा की गई अपील के संबंध में उपयुक्त उपाय सुझाये जाये।

(च) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये जाने वाले अन्य कार्य।

अध्याय-10

दिव्यांगजनों के लिये राज्य आयुक्त

33. **राज्य आयुक्त की नियुक्ति के लिये अर्हताएं**-अधिनियम 79 की उप धारा (1) के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिये राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक :-

(क) वह दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता हो।

(ख) वह राज्य आयुक्त के पद पर नियुक्ति के आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में आवेदन देने की अन्तिम तिथि वाले वर्ष की 01 जनवरी को उसने 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का न हो।

(ग) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में है तो वह पद पर उनकी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा सें सेवानिवृत्ति लेगा और;

(घ) वह निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो अर्थात :-

(अ) शैक्षणिक योग्यता :-

(i) अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक,

(ii) वांछनीयः सामाजिक कार्य या कानून या प्रबन्धन या मानवाधिकार या दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा,

(ब) अनुभव :-

(i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के समूह 'क' या समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव या

(ii) सार्वजनिक उपक्रम या अर्द्धशासकीय या स्वायत्तशासी निकायों में दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव या

(iii) दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य या राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की स्वैच्छिक संगठन में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की क्षमता में कम से कम 10 वर्ष कार्य किया हो

बशर्ते इस उपखंड में उल्लेखित कुल 10 वर्षो के अनुभव में से कम से कम 3 वर्ष दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

34. **राज्य आयुक्त की नियुक्ति की विधि**-(1) राज्य आयुक्त के पद की रिक्ति होने से 6 माह पूर्व कम से कम दो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंग्रेजी और हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से कम से कम एक अंग्रेजी में पद के लिये पात्र अभ्यर्थियों जो नियम 33 में विहित अर्हताओं को पूरा करते है, से आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये जायेगे।

(2) राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव स्तरीय अधिकारियों की छानबीन सह चयन समिति का गठन किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में विहित छानबीन सह चयन समिति का गठन राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) उप नियम (2) में विहित छानबीन सह चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पेनल में उन व्यक्तियों में से जिन्होने उप नियम (1) में वर्णित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया हो तथा अन्य पात्र व्यक्ति, जिन्हें समिति समुचित समझे, व्यक्ति हो सकते है।

(5) राज्य सरकार छानबीन सह चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी एक अभ्यर्थी को राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

35. राज्य आयुक्त की पदावधि–(1) राज्य आयुक्त की पदावधि उस तारीख से जिसको वह पद धारण करता है से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, होगी।

(2) राज्य आयुक्त की पदावधि 3 वर्ष की होगी और उसका दो वर्ष की अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो।

(3) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में अधिकतम दो कार्यकाल के लिये इस शर्त के अधीन रहते हुये कि उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, सेवा कर सकेगा।

36. राज्य आयुक्त के वेतन एवं भत्ते–(1) राज्य आयुक्त ऐसे वेतन भत्तों के लिये हकदार होगा, जो राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव को अनुज्ञेय है।

(2) जहां राज्य आयुक्त कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था या स्वायत्तशासी निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और जो ऐसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है वहां उसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन की रकम को घटा दिया जायेगा, और यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले सारांशित मूल्य प्राप्त किया है, वहां पेंशन के ऐसे सारांशित भाग की रकम को भी वेतन में से घटा दिया जायेगा।

37. राज्य आयुक्त की सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते–(1) राज्य आयुक्त की सेवा के अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार होगी अर्थात :-

(क) अवकाश : राज्य आयुक्त ऐसे अवकाश के लिये हकदार होगे, जो कि किसी समूह 'क' के सरकारी सेवक को संबंधित सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय है।

(ख) अवकाश यात्रा रियायत : राज्य आयुक्त ऐसे अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होगे, जो कि किसी समूह 'क' के सरकारी सेवक को संबंधित सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय है।

(ग) चिकित्सा लाभ : राज्य आयुक्त ऐसे चिकित्सा लाभ के हकदार होगे, जो कि किसी समूह 'क' के सरकारी सेवक को संबंधित सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय है।

38. त्याग पत्र और हटाया जाना–(1) राज्य आयुक्त अपने हस्ताक्षर के अधीन राज्य सरकार को सम्बोधित एक लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयुक्त को उसके पद से हटा सकेगी यदि वह–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) अपने कार्यकाल के दौरान किसी संदाययुक्त नियोजन में लगता है या उसके कार्यकाल के कर्तव्यों से परे कोई क्रियाकलाप करता है;

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है या कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) राज्य सरकार की राय में, मस्तिष्क या शरीर के अंग-शैथिल्य के कारण या अधिनियम में यथाअधिकथित उसके कृत्यों के निष्पादन में गंभीर व्यतिक्रम के कारण पद पर बने रहने के लिये उपयुक्त नहीं है;

(ड.) राज्य सरकार से अनुपस्थिति की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना 15 दिन या अधिक की अनुक्रमिक अवधि के लिये कार्य से अनुपस्थित रहता है;

(च) राज्य सरकार की राय में, राज्य आयुक्त के पद का इस प्रकार दुरूपयोग करता है कि उसका पद पर बने रहना दिव्यांग व्यक्तियों के हित के लिये हानिकारक है; परन्तु किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन, राज्य सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों को हटाये

जाने के लिये लागू प्रक्रिया का यथावश्यक परिवर्तनों सहित अनुसरण किये बगैर नहीं हटाया जायेगा।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे राज्य आयुक्त को निलम्बित कर सकती है, जिसके विरूद्ध उप नियम (2) के अनुसार उसे हटाये जाने के लिये प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है और ऐसी प्रक्रियाएं निष्कर्ष हेतु लम्बित है, निलम्बित कर सकेगी।

39. अवशिष्ट उपबंध–राज्य आयुक्त की किन्ही ऐसी सेवा की शर्तो के बाबत, जिसके लिये इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, अवधारण, यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा किया जायेगा।

40. सलाहकार समिति का गठन–(1) राज्य सरकार अधिनिमय की अनुसूचि में उल्लेखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के 5 समूह में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 विशेषज्ञ जिनमें से दो महिला होगी।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा और सदस्य पुनः नामनिर्देशन के पात्र नहीं होगे।

(3) राज्य आयुक्त किसी विषय विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित कर सकेगा, जो उसकी बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा।

(4) सलाहकार समिति के गैर शासकीय सदस्य, जो राज्य की राजधानी क्षेत्र में निवास नहीं करते है, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिये दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का उस दर से संदाय किया जायेगा, जो राज्य सरकार के समूह ‘क’ के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

41. राज्य आयुक्त द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया–(1) व्यथित व्यक्ति निम्नलिखित विशिष्टियों अन्तर्विष्ट करने वाला कोई परिवाद व्यक्तिगत रूप से या अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से राज्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा या उसे राज्य आयुक्त को सम्बोधित करते हुये डाक या ई–मेल द्वारा भेजेगा, अर्थात :–

(क) व्यथित व्यक्ति का नाम, विवरण और पता;

(ख) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का नाम, विवरण और पता, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सकेगा;

(ग) परिवाद से संबंधित तथ्य और वह कब और कहां उदभूत हुआ;

(घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज;

(ड.) वह अनुतोष, जिसके लिये व्यथित व्यक्ति दावा करता है;

(2) राज्य आयुक्त किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में उल्लेखित विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को यह निर्देश देते हुये परिवाद की एक प्रति निर्दिष्ट करेगा कि वे 30 दिन अथवा राज्य आयुक्त द्वारा मंजूर की जाने वाली 15 से अनधिक की विस्तारित अवधि के भीतर मामले का अपना पहलू प्रस्तुत करें।

(3) सुनवाई की तारीख या ऐसी अन्य तारीख को, जिसको सुनवाई स्थगित की जा सकती है, पक्षकार या उनके अभिकर्ता राज्य आयुक्त के समक्ष उपसंजात होगे।

(4) जहां परिवादी या उसका अभिकर्ता ऐसी तारीखों को राज्य आयुक्त के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां राज्य आयुक्त व्यतिक्रम पर परिवाद को खारिज कर सकेगा या गुणावगुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा।

(5) जहां विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई की तारीख को राज्य आयुक्त के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां राज्य आयुक्त अधिनियम की धारा 82 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्यवाई कर सकेगा, जिसे वह विरोधी पक्षकार को समन करने और उसे हाजिर करने के लिये आवश्यक समझता है।

(6) राज्य आयुक्त, यदि आवश्यक हो तो परिवाद को एक पक्षीय रूप से विनिश्चय कर सकेगा।

(7) राज्य आयुक्त ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह उचित समझे और कार्रवाईयों के किसी भी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

(8) राज्य आयुक्त यथाशक्य रूप से, विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर परिवाद का विनिश्चय करेगा।

42. **वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना**-(1) राज्य आयुक्त वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात यथासंभव शीघ्र, किन्तु आगामी वर्ष के 30 सितम्बर से पूर्व एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उनके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया जायेगा।

(2) विशिष्ठ रूप से, उप नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के संबंध में जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात :-

(क) राज्य आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के नाम और संगठनात्मक गठन और दर्शित करने वाला एक चार्ट;
(ख) ऐसे कृत्य, जिनके लिये राज्य आयुक्त को अधिनियम की धाराओं के अधीन सशक्त किया गया है और इस संबंध में उनसे कार्यपालन की मुख्य विशिष्टिया;
(ग) राज्य आयुक्त द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें;
(घ) अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में की गई प्रगति;
(ड.) अन्य कोई विषय, जिसे राज्य आयुक्त द्वारा सम्मिलित किया जाना समुचित समझा जाये या जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विर्निदिष्ट किया जाये।

अध्याय-11
लोक अभियोजक

43. **लोक अभियोजक की नियुक्ति**-(1) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय में निम्नानुसार अर्हताधारक लोक अभियोजक नियुक्त किया जायेगा :-

(क) दिव्यांगत व्यक्तियों के मामले निपटाने का व्यवहारिक अनुभव हो;
(ख) वकालत का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव;
(ग) स्थानीय भाषा एवं रीति-रिवाजों का ज्ञान;

(2) अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के तहत विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क एवं अन्य भुगतान सरकारी अभियोजक की तरह राज्य सरकार द्वारा दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 191) के तहत नियुक्त लोक अभियोजक द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित दर के अनुसार होगे।

अध्याय-12
दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि

44. **दिव्यांग व्यक्तियों और उसके प्रबंधन के लिए राज्य निधि**-(1) दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि का सृजन किया जायेगा, जिसे राज्य निधि कहा जायेगा :-

(क) अनुदान, उपहार, दान, लाभ, वसीयत या स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त सभी राशि;
(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सभी अनुदान सहायता सहित राशि;
(ग) ऐसे अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि जिन्हें राज्य सरकार द्वारा तय किया गया हो;

(2) राज्य निधि के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक राज्य निधि प्रबंधन समिति होगी :-

(क) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-अध्यक्ष;

(ख) चक्रानुक्रम में निम्नालिखित विभागों के दो प्रतिनिधि सदस्य होगें :-

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं या उनके प्रतिनिधि;

(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि;

(iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव श्रम और रोजगार विभाग;

(iv) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि;

(v) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि;

(vi) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि;

(vii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग या उनके प्रतिनिधि;

(नोट: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव का प्रतिनिधि, संयुक्त शासन सचिव के स्तर से कम का न हो)

(ग) दो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये सदस्य, चक्रानुक्रम में।

(घ) निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन-संयोजक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(3) राज्य निधि प्रबंधन समिति जितनी बार आवश्यक हो, लेकिन हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक अवश्य आयोजित करगी।

(4) नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष अधिक की अवधि के लिये पद धारण नहीं करेगे।

(5) राज्य निधि प्रबंधन समिति का कोई सदस्य, उस अविधि के दौरान निधि का लाभग्राही नहीं होगा, जिसके दौरान ऐसा सदस्य पद धारण करता है।

(6) नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य राज्य निधि प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के संदाय के लिय पात्र होगे, जो राज्य सरकार के समूह 'ख' के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

(7) किसी भी व्यक्ति को उप नियम (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य निधि प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, यदि वह-

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है या गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

(ख) किसी भी समय दिवालिये के रूप में अधिनिर्णित किया जाता है या किया गया है।

45. राज्य निधि के उद्देश्य :-राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जायेगा अर्थात,

(क) राज्य निधि प्रबंधन समिति दानदाताओं के सहयोग से एवं विभिन्न कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी से प्राप्त वित्तीय सहायता को विशेष योग्यजनों के पुनर्वास, कल्याण एवं आकस्मिक निधि के रूप में अत्यावश्यक कार्यो के लिए उपयोग में लाना।

(ख) राज्य में संचालित मानसिक विमंदित गृहों एवं विशेष विद्यालयों में आवासरत/अध्ययनरत विशेष योग्यजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
(ग) राज्य में विशेष योग्यजनों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के लिए समाज को जागरूक कराने हेतु वर्कशॉप का आयोजन करना।
(घ) यूनिसेफ के सहयोग से कार्यरत कर्मचारियों को विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ कार्यो में लगाना तथा कर्मिकों के मानदेय भत्तों इत्यादि का पुनर्भरण करना।
(ड.) दिव्यांगजन के कल्याणार्थ शिक्षण-प्रशिक्षण, पुनर्वास, निर्देशन, परामर्श एवं जनकल्याण के क्षेत्र में कार्य करना।
(च) विशेष योग्यजनों को समान अवसर उपलब्ध कराने एवं स्वाधीनता एवं स्वाभिमान पूर्व जीवनयापन करने हेतु सशक्त बनाना।
(छ) विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ आम नागरिको में सामुदायिक उत्तरदायित्व एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करना।
(ज) विशेष योग्यजन क्षमता निर्माण हेतु कार्य नीति तैयार करना तथा विशेष योग्यजनों के लिए नवीन योजनाओं को निर्माण करना।
(झ) विशेष योग्यजन बालकों-बालिकाओं एवं महिलाओं के शोषण एवं दुराचार (दुर्व्यवहार) के प्रति संरक्षण प्रदान कराना।
(त्र) निजी सार्वजनिक जनसहभागिता कार्यक्रमों में विशेष योग्यजनों के पुनर्वास का प्रयास करना।

46. **राज्य निधि का उपयोग**-राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, अर्थात,

(क) इस निधि का उपयोग दिव्यांगजनों के लिए बने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया जा सकेगा।
(ख) राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए, जहां किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता राज्य सरकार से उपलब्धता नही हो, ऐसे विशिष्ट क्षेत्र में राज्य निधि प्रबंधन समिति की अनुमति से वित्तीय सहायता दी जा सकेगी /व्यय की जा सकेगी।
(ग) अधिनियम के अन्तर्गत/द्वारा राज्य निधि के संचालन हेतु किये जाने वाले प्रशासनिक एवं अन्य व्यय।
(घ) अन्य व्यय जो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु किया जावे।
(ड.) समस्त व्यय के प्रस्ताव राज्य निधि प्रबंधन समिति से अनुमोदन उपरान्त निवेशित एवं व्यय किये जायेगें।

47. **बजट**-राज्य निधि का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये निधि के अधीन व्यय उपगत करने के लिये बजट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास में निधि की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जायेगा और उसे राज्य निधि प्रबंधन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

48. **वार्षिक रिपोर्ट** -निदेशालय विशेष योग्यजन की वार्षिक रिपोर्ट में राज्य निधि के संबंधित एक अध्याय सम्मिलित होगा।

प्रारुप–अ

पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

देखें नियम 18 (2)

1 संस्था का नाम :

2 पता एवं दूरभाष नं. :

3 क्या संस्था– :

अ. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत है ?

ब. राजस्थान संस्थायें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ?

स. किसी सार्वजनिक ट्रस्ट के नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है ?

द. भारतीय रेडक्रॉस सोसाटी या इसकी शाखायें

य. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कम्पनी पंजीकृत है ?

र. अन्य कोई संगठन/पंजीयन कर अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत विवरण (जो इस योजना के के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है पंजीयन का विस्तृत विवरण, अधिनियम का उल्लेख करते हुए)

4 संस्था की स्थापना की दिनांक :

5 संस्था का प्रकार : कृपया बताये कि क्या संस्था शिक्षण या प्रशिक्षण या दृष्टिहीन, मूक बधिरों, अस्थि विकलांगों अथवा मंदबुद्धि व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में कार्यरत है ? :

6 संस्था का संक्षिप्त विवरण एवं इसके उद्देश्य तथा वर्तमान गतिविधियां :

7 क्या संस्था राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है ? :

8 क्या संस्था राष्ट्रीय स्तर की है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण भारत में संचालित गतिविधियों का प्रकार :

9 संलग्न प्रपत्रों की सूची :

1 उद्देश्य, लक्ष्य एवं गतिविधियों का विवरण :

2 संस्था का विधान, नियंत्रण मण्डल कार्यकारिणी के सदस्यों का विवरण :

3 पिछली वार्षिक प्रतिवेदन :

4 संस्था द्वारा लाभान्वित किये गये लाभान्वितों की सूची/यदि संस्था द्वारा छात्रावास संचालित किया जा रहा है तो छात्रावासियों की संख्या

5 संस्था पिछले तीन वर्षो के लेखों का चार्टेड अकाउन्टेन्ट अथवा शासकीय अंकेक्षण द्वारा प्रमाणित आय व्यय विवरण प्राप्तियां एवं भुगतान विवरण बैलेन्स शीट

6 परियोजना हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का वर्षवार विवरण :

7 प्रस्तावित भवन का सामान्य नक्शा जिससे भूमि का क्षेत्रफल एवं निर्माण की अनुमानित लागत सम्मिलित हो :

आवेदन के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रारूप–ब

पंजीकरण प्रमाण पत्र

देखें नियम 18 (5)

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

क्रमांक : एफ. 1 ( )/नि.वि.यो./पंजी./नवी./ दिनांक :

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा–51 (2) के अन्तर्गत ....

....

का पंजीकरण/नवीनीकरण निदेशालय द्वारा दिनांक ....को 5/2 वर्ष के लिए दिनांक......................तक के लिए किया जाता है।

संस्था द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

निदेशक